

आज दिनांक 23.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

20 बोटा अवैध महुआ की लकड़ी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कोहरियावा के पास से 20 बोटा अवैध महुआ लकड़ी के साथ अभियुक्त नाम पता खुशीद अहमद पुत्र इफ्तिखार अहमद निवासी कोहरियावा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर बरामद अवैध महुआ की लकड़ी के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 54/21 धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह, का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 विशाल कुमार सिंह, का0 वीरेन्द्र कुमार रावत।

400 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता रिकू पुत्र छोटेलाल निवासी सेमरियावा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को 400 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 52/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

70 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10-10 लीटर (कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- चन्दन गौतम पुत्र सीताराम 2- काशीराम पुत्र रामशंकर निवासीगण भाटपारा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 50 / 2021 व 51/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह मय हमराह।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता कुन्ती देवी पत्नी अशर्फी निवासी कटया टोला लोहरपुरवा थाना बेलहरकला जनपद

संतकबीरनगर को 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 31/ 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- एच0सी0पी श्री फूलबदन द्विवेदी, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 विनय कुमार ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10-10-05-10-10 लीटर (कुल 45 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्तगण नाम पता 1- रामअवध पुत्र भोला निवासी भोतहा 2- रमेश कुमार पुत्र रामअवध निवासी भोतहा 3- रामनयन पुत्र सन्तु निवासी बसवारीगांव 4- दिनेश उर्फ छोटेलाल पुत्र भग्गू निवासी रामपुर दक्षिणी 5- इन्द्रावती देवी पत्नी लालचन्द्र निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10-10-05-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 77/21, 78/21, 81/21, 82/21 व 83/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, हे0का0 कैलाश प्रसाद, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 सन्तोष यादव, का0 राधेश्याम वर्मा ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 10 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 03 वारण्टी नाम पता 1- कन्हैया पुत्र द्वारिका निवासी कुसुमीढाडी 2- सतनाम पुत्र सुभाष निवासी बालूशासन 3- ठाकुर पुत्र रामदेव निवासी कुसुमीढाडी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री उदयभान मिश्रा, उ0नि0 श्री शशिकान्त तिवारी, का0 अजवेन्द्र प्रताप, का0 मनीष यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 06 वारण्टी नाम पता 1- कोमल पुत्र बेकारु निवासी टिकुईखोर थाना महुली 2-वसीम पुत्र रशीद खान निवासी भगवतीपुर थाना महुली 3- राकेश पाण्डेय पुत्र अभिमुनि निवासी मुठईकला थाना धनघटा 4- अशोक नायक पुत्र जगदीश नायक निवासी किशुनपुर थाना धनघटा 5-रामनगीना पुत्र रामअचल निवासी मिठाईकला थाना धनघटा 6- भोलानाथ पुत्र रामाश्रय निवासी कस्बामहुली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता वासुदेव पुत्र श्रृंगार केवट निवासी पक्का पोखरा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 26 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 05597 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।
पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जितेन्द्र यादव, मु0आ0 नरसिंह यादव, हो0चा0 रशीद अमहद ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनो से 74500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनो से 74500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।